## **EXCHANGE PROGRAMME BETWEEN**

## THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA AND

## THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA ON COOPERATION

## IN THE FIELDS OF EDUCATION AND TRAINING

The Government of Australia and the Government of India (hereinafter referred to as "the Parties"); recalling the Agreement on cooperation in the field of culture and science between the Government of Australia the and the Government Republic of India signed on 21<sup>st</sup> October 1971 have reached the following understandings.

- 1. The Parties will encourage, as appropriate, the development of contacts and cooperation between the educational institutions of the two countries, based on their respective academic and educational needs. This Educational Exchange Programme (hereinafter referred to as "the EEP") may include all or some of the following activities:
  - Exchange of research materials, publications, educational literature, teaching aids, demonstration material and information;
  - ii) Organization of joint conferences, exhibitions and seminars;
  - iii) Organization of joint research programmes and publications;
  - iv) Organization of training programmes for educational administrators and teachers;
  - v) Exchange of academic and other administrative staff;
  - vi) Exchange of scholars, teachers, experts and students;
  - vii) Twinning arrangements between institutions of higher learning;
  - viii) Setting up of educational/training institutions and to further develop bilateral programmes between

- institutions of educational excellence in technical, vocational and higher education;
- ix) Examine the possibility of mutual recognition of educational qualifications;
- x) Setting up of chairs on contemporary studies;
- xi) Providing scholarships for further education in recognized institutions of higher learning;
- xii) Providing mutual assistance in the fields of Information Technology, Computer Science, mathematics & science;
- xiii) Any other activity as mutually determined by both Parties.
- 2. The substance, scope and implementation of activities or cooperation within the terms of the EEP may be the subject of more specific arrangements concluded between selected institutions in the two countries on the basis of and within the provisions of the EEP.
- 3. Nothing shall diminish the full autonomy of either Party, nor will any constraints or financial obligations be imposed by either Party upon the other, in carrying out the EEP.
- 4. The costs of the co-operative activities under the EEP will be funded on terms to be mutually determined and will be subject to the availability of funds.
- 5. The Parties will establish a Joint Working Group to implement the EEP. The Joint Working Group will be chaired, on behalf of the Government of Australia by a representative of the Department of Education, Science and Training, and on behalf of the Government of the Republic of India, by a representative of the Department of Secondary & Higher Education, Ministry of Human Resource Development along with the participation of representatives of the other agencies of the parties as appropriate. The Joint Working Group will meet alternately in India and Australia at least once every two years or as the Parties may otherwise mutually determine, to review the implementation of the EEP.

- 6. Either Party may request in writing for a revision of or amendment of the EEP. Any revision or amendment mutually consented to by both Parties will be received in writing and will form part of the EEP. Such revision or amendment will come into effect on such date as may be determined by both Parties.
- 7. The EEP will become operational on the date of signing by both the Parties and will remain in force for a period of five years. Each party reserves the right, for reasons of security, public order or health, to suspend temporarily, either in whole or in part, the implementation of the EEP. It will be automatically renewed for a further period of five years at a time, unless one of the parties declares its intention to terminate the EEP by a written declaration before six months of the expiry of the EEP.

Signed at New Delhi on 23 October 2003 in two original copies in English and Hindi languages, both texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF

**AUSTRALIA** 

DR BRENDAN NELSON MP

MINISTER FOR EDUCATION, SCIENCE AND TRAINING

FOR THE GOVERNMENT OF THE

REPUBLIC OF INDIA

DR. MURLI MANOHAR JOSHI

MINISTER FOR HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्रों में सहयोग के संबंध में आस्ट्रेलिया की सरकार तथा भारत गणराज्य की सरकार के बीच आदान-प्रदान कार्यक्रम

आस्ट्रेलिया की सरकार तथा भारत सरकार, (जिन्हें इसमें इसके बाद ''पक्षकार'' कहा गया है) आस्ट्रेलिया की सरकार तथा भारत गणराज्य की सरकार के बीच 21 अक्तूबर, 1971 को सम्पन्न संस्कृति और विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग संबंधी करार का स्मरण करते हुए निम्नानुसार सहमत हुई हैं :-

- 1. दोनों पक्षकार अपनी-अपनी अकादिमक तथा शैक्षिक आवश्यकताओं के आधार पर दोनों देशों की शैक्षिक संस्थाओं के बीच सम्पर्क और सहयोग के विकास को समुचित रूप से प्रोत्साहित करेंगे। इस शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम में (जिसे इसके बाद ''ई.ई.पी.'' कहा गया है) निम्नलिखित सभी अथवा उनमें से कुछ कार्यकलाप शामिल हो सकते हैं:-
- i) अनुसंधान सामग्री, प्रकाशन, शैक्षिक साहित्य, अध्यापन सहायता, प्रदर्शन सामग्री और सूचना का आदान-प्रदान ;
- ii) संयुक्त सम्मेलनों, प्रदर्शनियों तथा सेमिनारों का आयोजन;
- iii) संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रमों तथा प्रकाशनों का आयोजन ;
- iv) शैक्षिक प्रशासकों तथा शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन;
- v) अकादिमक तथा अन्य प्रशासनिक कर्मचारियों का आदान-प्रदान;
- vi) विद्वानों, शिक्षकों, विशेषज्ञों तथा विद्यार्थियों का आदान-प्रदान;
- vii) उच्च शिक्षण संस्थाओं के बीच समरूप व्यवस्था करना;
- viii) शैक्षिक/प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना तथा तकनीकी, व्यावसायिक और उच्चतर शिक्षा में शैक्षिक उत्कृष्टता वाली संस्थाओं के बीच द्विपक्षीय कार्यक्रमों का विकास;

- ix) एक-दूसरे की शैक्षिक अर्हताओं को परस्पर मान्यता देने की संभावना की जांच करना;
- x) समकालीन अध्ययन पीठों की स्थापना करना;
- xi) मान्यताप्राप्त उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में आगे की पढाई के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करना;
- xii) सूचना प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर विज्ञान, गणित एवं विज्ञान के क्षेत्रों में परस्पर सहायता और सहयोग की व्यवस्था करना;
- xiii) दोनों पक्षकारों द्वारा स्वीकृत कोई अन्य कार्यकलाप
- इस शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम की शर्तों के अधीन कार्यकलापों अथवा सहयोग की विषय-वस्तु, क्षेत्र तथा कार्यान्वयन, वर्तमान शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के प्रावधानों के आधार पर तथा उनके तहत इन दोनों देशों की चुनिंदा संस्थाओं के बीच सम्पन्न की जाने वाली अपेक्षाकृत विशिष्ट व्यवस्थाओं के विषय होंगे।
- 3. इस शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम को कार्यरूप देने में दोनों में से किसी भी पक्ष की स्वायत्तता पर कोई आंच नहीं आएगी और न ही किसी एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर किसी प्रकार का दबाव अथवा वित्तीय बाध्यता लगाई जाएगी।
- 4. शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत सहयोगी कार्यकलापों की लागत परस्पर निर्धारित की जाने वाली शर्तों के आधार पर तथा निधियों की उपलब्धता की शर्त के अधीन पूरी की जाएगी।
- 5. दोनों पक्षकार शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए एक संयुक्त कार्य दल की स्थापना करेंगे। संयुक्त कार्य दल की अध्यक्षता, आरट्रेलिया सरकार की ओर से उसके शिक्षा, विज्ञान तथा प्रशिक्षण विभाग के एक प्रतिनिधि द्वारा, तथा भारत गणराज्य की सरकार की ओर से माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक प्रतिनिधि द्वारा की जाएगी और इसके साथ-साथ दोनों पक्षकारों के अन्य अभिकरणों के प्रतिनिधियों की सहभागिता होगी। संयुक्त कार्यदल

शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए दोनों पक्षकारों द्वारा परस्पर निर्धारित तरीके से या दो वर्ष में एक बार भारत और आरटेलिया में बारी-बारी से बैठक आयोजित की जाएगी।

- 6. दोनों में से कोई भी पक्षकार शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम में संशोधन अथवा परिवर्तन करने के लिए लिखित रूप में अनुरोध कर सकता है। दोनों पक्षकारों द्वारा स्वीकृत कोई भी संशोधन लिखित रूप में प्राप्त किए जाएंगे और शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम का भाग बन जाएंगे। ऐसा संशोधन अथवा परिशोधन दोनों पक्षकारों द्वारा निर्धारित की गई तिथि से प्रभावी होगा।
- 7. शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम दोनों पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर करने की तिथि से प्रभावी हो जाएगा और पांच वर्ष की अविध के लिए प्रवृत्त रहेगा। दोनों में से प्रत्येक पक्षकार सुरक्षा, सार्वजिनक व्यवस्था अथवा स्वास्थ्य संबंधी कारणों से इस शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के कार्यान्वयन को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से, अस्थायी रूप से आस्थिगत करने का अधिकार रखता है। यह एक बार में पांच वर्ष की अविध के लिए तब तक स्वतः नवीकृत होता रहेगा जब तक दोनों पक्षकारों में से कोई एक पक्षकार इस कार्यक्रम के समाप्त होने से छह महीने पूर्व एक लिखित घोषणा द्वारा इस कार्यक्रम को समाप्त करने के अपने इरादे की घोषणा न कर दे।

नई दिल्ली में 23.10.2003 को हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल पाठों में सम्पन्न सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक है। अर्थनिरूपण में मतभेद होने पर अंग्रेजी पाठ सर्वोपरि होगा।

आस्ट्रेलिया की

सरकार की ओर से

डॉ० ब्रेन्डन नेल्सन एम.पी.

शिक्षा, विज्ञान और प्रशिक्षण मंत्री

भारत गणराज्य की

सरकार की ओर से

डा० मुरली मनोहर जोशी

मानव संसाधन विकास मंत्री